ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES
*****

NOTICE

The Draft Recruitment Rules for the post of **Junior Engineer (Electronics & Communication)** has been uploaded in the A&N Administration Portal www.andaman.gov.in for information of all concerned. The stakeholders may submit their claims/objections, if any addressed to the Director, Directorate of Shipping Services, Port Blair within 30 (thirty) days from the date of publishing of this notice. Thereafter, no claims/objections will be entertained.

Assistant Director(Admn)

F.No.10-6/M/RR/2023/ 2514
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
नौवहन सेवा निदेशालय
DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES
*****

Port Blair, dated the 28th November, 2023

To

1. The Chief Editor, The Daily Telegrams, Port Blair with the request to publish the above Notice alongwith the enclosed Draft Notification and Recruitment Rule (In English & Hindi Newspaper) on 29.11.2023 and 13.12.2023.
2. The News Editor, Pradeshik Samachar, AIR , Port Blair with the request to include the contents of the Notice in the Pradeshik Samachar on 29.11.2023 and 30.11.2023.
3. The Station Director, Doordarshan Kendra, Port Blair with the request to include the contents of the Notice in the Dweep Darpan on 29.11.2023 and 30.11.2023.
4. The Executive Officer, SOVTECH, DBRAIT Campus, Dollygunj, Port Blair with the request to upload the enclosed (English & Hindi) Draft Notification and Recruitment Rule (In Hard & Soft Copy) in the A&N Administration Website www.andaman.gov.in on 29.11.2023.
5. The Assistant Manager(IT), DSS for information and necessary action.

Copy to :
1. PA to DSS for kind information of DSS.
2. PA to DDSS for kind information of DDSS.
3. The Deputy Secretary(Shipping), A&N Administration, Port Blair.

Assistant Director(Admn)
28/11/2023

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT
*****

Port Blair, dated the November, 2023

NOTIFICATION

No…………………./F.No. 42-517/2021-TR(1), In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Notification No.U-14939/2/83-ANL dated 21.02.1985 issued by the Govt. of India, Ministry of Home Affairs and in supersession of all previous Notifications notifying the recruitment rules in respect of the post, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Junior Engineer (Electronic & Communication)** borne in the Dockyard establishment of Directorate of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration, published in the A&N Extra Ordinary Gazette Notification No. 100 dated 01.05.2012, namely:-

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:**

   i. These Rules may be called the Andaman and Nicobar Administration Junior Engineer (Electronic & Communication) in the establishment of Directorate of Shipping Services), Recruitment Rules, 2023.

   ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **NUMBER OF POST, CLASSIFICATION AND PAY BAND WITH GRADE PAY/PAY SCALE:**

   The number of post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in paras 2 to 4 of the Schedules annexed hereto.

3. **METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT & QUALIFICATION ETC:**

   The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in para 5 to 13 of the said Schedule.

4. **DISQUALIFICATION:**

   No person.

   a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   b. Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

   Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **POWER TO RELAX:**

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the Provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **SAVING:**

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for candidates belonging to Scheduled Caste, Schedules Tribe and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D. K. Joshi
Lieutenant Governor,
Andaman & Nicobar
Islands.

By order and in the name of Lieutenant Governor,

Sd./-
(..............................)
Deputy Secretary (Shipping)

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF JUNIOR ENGINEER (ELECTRONIC & COMMUNICATION) IN THE ESTABLISHMENT OF DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES, A & N ADMINISTRATION

1.	Name of the post	Junior Engineer (Electronic & Communication)
2.	No. of post	01(one) *subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted(Non-Ministerial)
4.	Level in the pay matrix	Level – 6 (₹ 35400 – 112400/-)
5.	Whether selection post or Non-Selection post	Not Applicable.
6.	Age limit for direct recruitment.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 05 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Govt. from time to

		time). **NOTE:-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of name/applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh. Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
7.	Educational and Qualification required for direct recruits.	**Essential:-** 1. Degree in Electronic & Communication Engineering from a recognized University. OR 2. Diploma in Electronic & Communication Engineering from a recognized institution with 03 years experience in the field.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Not Applicable.
9.	Period of probation, if any	02(two) years.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to filled by various methods.	100% direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion deputation/transfer grades from which promotion/ deputation transfer to be made.	Not Applicable.
12.	If DPC exists, what is its composition	Group 'B' DPC (for considering cases of confirmation) consisting of : 1. Secretary (Shipping) - Chairman 2. Director (SS) - Member 3. Executive Engineer (Workshop Division), APWD, Port Blair. - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable.

Annexure

Duties and Responsibilities attached to the post of Junior Engineer (Electronic & Communication)

1. Junior Engineer (E&C) is the overall in-charge of Electronic Lab. He shall be responsible for servicing and maintenance of all Electronic Systems viz. GMDSS, navigation instrument and general electronic system on board the vessels and all electronic control devices at various workshops of the Marine Dockyard at offices.

2. To supervise and control all the works attended by the workers and guide them whenever required. Also supervise the works offloaded to ensure that the work progress is in accordance with the work order.

3. To analyze quantum of works on every indents and the required manpower for timely completion.

4. To prepare and control demand vouchers/store indents for obtaining materials, T&P and consumables from the stores.

5. He shall ensure precision of test instruments for which check/ calibrated is to be done on regular interval.

6. To check & verify all the newly arrived electronic items/materials and its suitability or otherwise.

7. Any other duties as assigned by the superior authority.

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
नौवहन सेवा निदेशालय
*****

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक नवम्बर, 2023

सूचना

कनिष्ठ अभियन्ता (इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन) के पद के लिए मसौदा भर्ती नियम सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट www.andaman.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं । यदि कोई दावे/आपत्तियाँ हों तो हितधारक इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर निदेशक, नौवहन सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर को भेज सकते हैं । उसके बाद किसी भी दावे/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

सहायक निदेशक (प्रशासन)

....

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT
****

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक नवम्बर, 2023

अधिसूचना

सं.................. /फा.सं. 42-517/2021-टीआर(1), भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 21.02.1985 की अधिसूचना संख्या यू-14939/2/83-ए.एन.एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस पद से संबंधित भर्ती नियमावली को अधिसूचित करते हुए जारी पिछले सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल(प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एतदद्वारा दिनांक 01.05.2012 के अण्डमान तथा निकोबार असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. 100 में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय की डॉकयार्ड स्थापना में धारित **कनिष्ठ अभियन्ता(इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन)** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ : -

(i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में कनिष्ठ अभियन्ता (इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन)भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
(ii) यह नियमावली इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा ग्रेड वेतन सहित वेतन बैण्ड/वेतन मान:-

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूचियों के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताएँ :-

उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यताएँ तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. अयोग्यताएँ :-

कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने:-

क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो,जिसका पति/पत्नी जीवित है, या
ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परंतु उप राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, को यह सन्तुष्टि हो जाने पर कि ऐसी शादी उस व्यक्ति और उस शादी के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति:-

उप राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यवृत्ति:-

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(एडमिरल डी.के. जोशी)
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम, वाई.एस.एम, एन.एम., वी.एस.एम(अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ह0/-)
(..)
उप सचिव(नौवहन)

अनुसूची

नौवहन सेवा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की स्थापना में कनिष्ठ अभियन्ता(इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन) के पद के लिए भर्ती नियमावली।

1.	पद का नाम	कनिष्ठ अभियन्ता(इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन)
2.	पदों की संख्या	01 (एक) *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय)
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर - 6 (रू. 35400-112400/-)
5.	चयन पद या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 05 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी।) **नोट:-** आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से नाम/आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही होगी और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, लाहौल एवं स्फीती जिला तथा पंगी उप मंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य:-** 1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन अभियांत्रिकी में डिग्री। अथवा 2. किसी भी मान्यताप्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा सहित इस क्षेत्र में 03 वर्षों का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे ?	लागू नहीं ।
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि हो।	02(दो) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।	100% सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	लागू नहीं

12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए) का गठन इस प्रकार है - 1. सचिव(नौवहन) - अध्यक्ष 2. निदेशक(नौवहन सेवा) - सदस्य 3. कार्यपालक अभियन्ता (कर्मशाला प्रभाग), अण्डमान लोक निर्माण विभाग, पोर्ट ब्लेयर - सदस्य
13.	परिस्थितियां जब भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता है।	लागू नहीं।

अनुलग्नक

कनिष्ठ अभियन्ता(इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन) के पद के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियाँ

1. कनिष्ठ अभियन्ता (इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन) इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला का समग्र-प्रभारी हैं। जहाजों पर सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों अर्थात जीएमडीएसएस, नौचालन यंत्रों तथा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली तथा कार्यालय में मेरीन डॉकयार्ड के विभिन्न कर्मशालाओं के सभी इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण यंत्रों की सर्विसिंग और रख-रखाव की जिम्मेदारी उनकी होगी।
2. कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा जब भी आवश्यक हो उनका मार्गदर्शन करना। कार्य की प्रगति कार्य आदेश के अनुरूप हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
3. प्रत्येक इन्डेन्ट पर कार्यों की मात्रा तथा इसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक श्रमिकों का विश्लेषण करना।
4. भण्डार से सामग्रियाँ, औजार एवं संयत्र तथा उपभोज्य सामग्रियाँ प्राप्त करने के लिए डिमांड वाऊचर/इंडेंट तैयार और नियंत्रित करना।
5. वे परीक्षण उपकरणों की सटीकता सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए उन्हें नियमित अंतराल पर जाँच/कैलिब्रेशन करना होगा।
6. लाए गए सभी नए इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों/वस्तुओं की जाँच एवं सत्यापन करेगा तथा उसकी उपयोगिता या अन्यथा के बारे में राय देगा।
7. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को भी करना होगा।